action is taken to remove the encroachment.

Illegal Dhabas/Rcstaiirants opened in Farm Houses and Panchayat Land

3648. DR. MOHAN BABU: Will the Mini.stcr of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundred of Sh()pvT)haba.s/Rcstaurants have illegally opened up in farm houses and village panchayat land on Gurgaon-Mahrauli and Gurgaon Delhi border in connivance with the officials;

(b) whether Government propose to set up an enquiry into it; and

(c) what steps have been taken by Government to remove such illegal encroachments?

THE MINISTER OF STATE iN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BAN-DARU DAITATREYA): (;i) to (c) MCD ha.s reported that a number of shops/'dhabas and restaurants have come up at Andheria More Road leading to Gaurgaon. There are al.so three restaurants running in farm houses on Mehrauli Gurgaon Road. A number of shops/ dhabas/restaurants have been registered under ad-hoc registration scheme, 1990, and those not registered are being prosecuted. Recently prosecution action in this area had been taken on 4.6.1998, besides routine raids being conducted in this area. The encroachcment from village Panchayat land are removed by the Revenue Department and from Municipal land by Municipal Corporation of Delhi from time to time with the help of police. Prosecution action is taken by MCD under section 417 of DMC Act.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को बेची गई भूमि

3649. **श्री बरजिन्दर सिंहः**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः

क्य शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षों के दौरान सांस्कृतिक, समाजिक, व्यापारिक औऱ शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि बेची गई है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संस्था को बेची गई भूमि का इसकी कीमत सहित ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि भूमि की कमीत बाजार की कीमत की तुलना में कम आंकी गई है , औऱ

(घ) यदि हां, तो भूमि की कीमत कम आंकने के क्या कारण हैं, और कीमत कम रखने के लिए अपनायी गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री बंडारु दत्तात्रेय**): (क) डी.डी.ए. पट्टा आधार पर सांस्कृतिक, समाजिक और शिक्षण संस्थानों को भूमि आबंटित करता है। औद्योगिक प्लाटों की बिक्री नीलामी/टेंडर के माध्यम से की जाती है।

(ख) जिन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान भूमि आबंटित की गई , जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है, उनकी सूची क्रमशः विवरण। और ॥ में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ग) औऱ (घ) यह भूमि पट्टे के आधार पर औऱ भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आबंटित की जाती है।

विवरण

सामाजिक औऱ सांस्कृतिक संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान भूमि का आबंटन

क्रम. सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
1999			
1.	श्री राम सेवा संघ	300 वर्ग मीटर	50 लाख
2.	पार्वती एसोसियशन	4090 वर्ग मीटर	10 लाख